मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-06-08.

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 302] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 जून 2008—ज्येष्ठ 30, शक 1930

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 जून 2008

क्र. एफ. 2-01-08-एक-13.—राज्य सरकार, एतद्द्वारा, भारत में घोषित आपातकाल दिनांक 25 जून 1975 से मार्च, 1977 की कालावधि के दौरान मध्यप्रदेश के राजनैतिक या सामाजिक कारणों से मीसा/डी.आई.आर. के अधीन निरूद्ध व्यक्तियों को सहायता देने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लोकनायक जयप्रकाशनारायण (मीसा/डी.आई.आर. राजनैतिक या समाजिक कारणों से निरूद्ध व्यक्ति) सम्मान निधि नियम, 2008 है.

(2) यह नियम ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होंगे.

2. इन नियमों में, जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''मीसा'' से अभिप्रेत है आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम, 1971 (1971 का 26) (निरसित);

(ख) ''डी.आई.आर.'' से अभिप्रेत है भारत रक्षा नियम, 1971 (डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स, 1971) (निरसित);

(ग) ''मीसा/डी.आई.आर. राजनैतिक या सामाजिक कारणों से निरूद्ध व्यक्ति'' से अभिप्रेत है भारत में घोषित आपातकाल दिनांक 25 जून 1975 से मार्च, 1977 की कालावधि के दौरान राजनैतिक या सामाजिक कारणों से मीसा/डी.आई.आर. के अधीन निरूद्ध किये गये व्यक्ति;

(घ) ''निरूद्ध'' से अभिप्रेत है आपातकाल की कालावधि में मीसा/डी.आई.आर. में खण्ड (ग) के अधीन निरूद्ध किया गया हो.

3. (1) इन नियमों के अधीन निम्नलिखित मीसा/डी.आई.आर. राजनैतिक या सामाजिक कारणों से निरूद्ध व्यक्ति को आजीवन मासिक सम्मान निधि की पात्रता होगी:—

(क) मीसा/डी.आई.आर. राजनैतिक या सामाजिक कारणों से निरूद्ध व्यक्ति;

(ख) दिवंगत मीसा/डी.आई.आर. राजनैतिक या सामाजिक कारणों से निरूद्ध व्यक्ति की पत्नी/पति :

परन्तु सम्मान निधि तभी दी जाएगी जब मीसा/डी.आई.आर. राजनैतिक या सामाजिक कारणों से निरूद्ध व्यक्ति मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो.

(2) मीसा/डी.आई.आर. के अधीन राजनैतिक/सामाजिक कारणों से निरूद्ध व्यक्ति की मृत्यु होने की स्थिति में उसकी पत्नी/पति के द्वारा सम्मान निधि प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जा सकेगा.

(3) सम्मान निधि का लाभ दिनांक 1 अप्रैल 2008 से दिया जाएगा.

4. मीसा/डी.आई.आर. के अधीन राजनैतिक एवं सामाजिक कारणों से निरूद्ध रहने संबंधी प्रमाण-पत्र, व्यक्ति जहां निरूद्ध रहा हो, यथा-जेल/पुलिस थाना का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा. जेल की दशा में जेल अधीक्षक तथा पुलिस थाने की दशा में जिला पुलिस अधीक्षक का प्रमाण-पत्र आवेदन के साथ संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा.

5. (1) ऐसे मीसा/डी.आई.आर. राजनैतिक या सामाजिक कारणों से निरूद्ध व्यक्ति जो एक माह से अधिक किन्तु छह माह से कम अवधि के लिए निरूद्ध रहे उन्हें रुपए 3000/- प्रतिमाह तथा ऐसे व्यक्ति जो छह माह या उससे अधिक की कालावधि के लिए निरूद्ध रहे हों, उन्हें रुपए 6000/- प्रतिमाह, की दर से सम्मान निधि की पात्रता होगी.

(2) दिवंगत मीसा/डी.आई.आर. राजनैतिक या सामाजिक कारणों से निरुद्ध व्यक्ति की पत्नी या पति को उपनियम (1) में वर्णित सम्मान निधि की राशि का आधा पाने की पात्रता होगी.

6. इन नियमों के अधीन प्राप्त आवेदनों का परीक्षण कर सम्मान निधि की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अनुशंसा जिलास्तर पर निम्न समिति द्वारा की जाएगी :—

(1)	जिले के प्रभारी मंत्री	अध्यक्ष
(2)	जिला मजिस्ट्रेट	सदस्य सचिव
(3)	जिला पुलिस अधीक्षक	सदस्य
(4)	जिला जेल अधीक्षक	सदस्य

समिति यह सुनिश्चित करेगी कि सम्मान निधि केवल उन व्यक्तियों को ही प्राप्त हो जो मीसा या डी.आई.आर. कानून के अधीन राजनैतिक या सामाजिक कारणों से निरुद्ध हुए थे तथा उनका तत्समय पुलिस रिकार्ड में कोई पृथकतः आपराधिक/असामाजिक गतिविधियों का इतिहास नहीं था अर्थात् सम्मान निधि देते समय यह ध्यान रखा जाएगा कि यह निधि मूलतः ऐसे व्यक्तियों को दी जाए जो राजनैतिक या सामाजिक कारणों से मीसा/डी.आई.आर. कानून के अधीन निरुद्ध हुए थे तथा वे मूलतः आपराधिक चरित्र के नहीं थे.

7. इन नियमों के अधीन समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्वीकृति/अस्वीकृति आदेश जारी किया जाएगा.

8. इन नियमों के अधीन समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किये गये आदेश के विरुद्ध संबंधित व्यक्ति यदि कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहता है तो राज्य सरकार को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किये गये आदेश के दिनांक से 30 दिन के अन्दर आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा.

9. राज्य सरकार नियम-8 के अधीन प्राप्त अभ्यावेदनों का गुणदोष के आधार पर निराकरण आवेदन प्राप्ति की दिनांक से 45 दिन के अन्दर करेगी जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा.

10. मीसा/डी.आई.आर. राजनैतिक या सामाजिक कारणों से निरूद्ध व्यक्तियों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के समान चिकित्सा सुविधा प्रदान की जावेगी.

11. इन नियमों के अधीन स्वीकृत सम्मान निधि राशि निम्नलिखित स्थिति में बन्द हो जाएगी :—

(क) जीवित मीसा/डी.आई.आर. राजनैतिक या सामाजिक कारणों से निरूद्ध व्यक्ति के संबंध में उसकी मृत्यु हो जाने पर परन्तु उसकी पत्नी/पति को नियम 3 के उपनियम (2) के अनुसार सम्मान निधि की पात्रता होगी इसके लिए उसे मात्र सूचना देनी होगी तथा पृथक् से आवेदन दिए जाने की आवश्यकता नहीं होगी.

(ख) दिवंगत मीसा/डी.आई.आर. राजनैतिक या सामाजिक कारणों से निरूद्ध व्यक्ति की पत्नी/पति के संबंध में-उसकी मृत्यु हो जाने पर.

12. (1) यदि कोई व्यक्ति इन नियमों के अधीन पात्रता नहीं होने के बावजूद गलत जानकारी के आधार पर सम्मान निधि प्राप्त करता है तो ऐसी स्थिति में स्वीकृति आदेश निरस्त करते हुए प्राप्त की गई सम्मान निधि की राशि संबंधित व्यक्ति से एक मुश्त वसूल कर ली जाएगी, यदि संबंधित व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गई राशि वापिस नहीं की जाती है तो उसे भू-राजस्व के बकाया के तौर पर वसूल की जाएगी.

(2) आदेश निरस्त करने का अधिकार नियम-6 में वर्णित जिलास्तरीय समिति की अनुशंसा पर जिला मजिस्ट्रेट को होगा और औपचारिक आदेश नियम-7 के अनुसार जारी किया जाएगा.

(3) जिलास्तरीय समिति किसी शिकायत, आवेदन या स्वमेव सूचना पर इस संबंध में जांच कर सकेगी और तत्संबंधी हितग्राही को भी सुनवाई का अवसर दिया जाएगा जिसके पक्ष में नियम-7 के अधीन स्वीकृति आदेश दिया गया है.

(4) उपनियम (3) के विरुद्ध अभ्यावेदन दुखित पक्ष ठीक उसी प्रकार कर सकेगा जैसा कि नियम 8 में वर्णित है उसका निराकरण नियम 9 के अनुसार किया जाएगा.

(5) कोषालय संहिता और सरकार पेंशन भोगियों को लागू होने वाले नियमों के उपबंध यथाआवश्यक परिवर्तन सहित इन नियमों के अधीन सम्मान निधि पाने वालों पर भी लागू होंगे.

13. इन नियमों के अधीन स्वीकृत सम्मान निधि पर होने वाला व्यय अनुदान संख्या 2, शीर्ष 288-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण आयोजनेत्तर-ग के अन्तर्गत विकलनीय होगा.

14 (1) इन नियमों के अधीन सम्मान निधि राशि के लिए आवेदन-पत्र (सत्यापित पासपोर्ट साईज फोटो सहित) संलग्न प्रपत्र में जिन आधारों पर सम्मान निधि का दावा किया गया हो उसका पूरा ब्यौरा देते हुए तथा मीसा/डी.आई.आर. के अधीन राजनैतिक या सामाजिक कारणों से निरूद्ध होने संबंधी पुलिस अधीक्षक, जेल से प्राप्त प्रमाण-पत्र सहित संबंधित जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय को प्रस्तुत किए जाएंगे. मीसा/डी.आई.आर. के अधीन राजनैतिक या सामाजिक कारणों से निरूद्ध रहने संबंधी जारी प्रमाण-पत्रों को पुलिस अधीक्षक/अधीक्षक जेल कार्यालय से पुष्टि के बाद प्रकरण को जिलास्तर की समिति के समक्ष जिला मजिस्ट्रेट द्वारा रखा जाएगा.

(2) आवेदक यदि शारीरिक या आर्थिक विपन्नता के कारण संबंधित जेल से प्रमाण-पत्र पाने में समर्थ न हो तो उसके निवेदन पर संबंधित जेल से प्रमाण-पत्र पाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट भी कार्यवाही कर सकेगा.

15. इन नियमों के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन होने के दिनांक से छः माह के भीतर पात्र व्यक्तियों को आवेदन प्रस्तुत करना होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वाय. सत्यम, अपर सचिव.